परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्र सं0-2052 एफ०/02-249एफ०/88 दिनांक 25 सितम्बर, 06.

1- समस्त मण्डलीय प्रधान प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

2- प्रधान प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम,
केन्द्रीय कार्यशाला/STU राम मनोहर लोहिया कार्यशाला,
कानपुर।

3- प्रधानाचार्य,
उ0प्र0 परिवहन निगम,
प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर।

4- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

5- अधिशासी अभियंता (पूर्व/पश्चिम),
उ0प्र0 परिवहन निगम, भवन शाखा,
मुख्यालय, लखनऊ।

6- आहरण एवं वितरण अधिकारी,
उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

7- प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम,
कार सेक्शन, लखनऊ।

8- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त)/सम्परीक्षा अधिकारी/स0 लेखाधिकारी, उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय:- उ0प्र0 परिवहन निगम के कार्मिकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा अग्रिम के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा अग्रिम सम्बन्धी प्रकरण चिकित्सा परिचर्या नियमावली 1994 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार किया जाता है। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा अग्रिम की धनराशि/स्वीकृति करने के लिए क्षेत्रों /इकाईयों द्वारा उक्त प्राविधानों से भिन्न स्थितियों में भी संस्तुति प्रदान की जा रही है। ऐसी कतिपय स्थितियों का विवरण आपके संज्ञान हेतु संलग्न किया जा रहा है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/अग्रिम के प्रकरणों को चिकित्सा नियमावली 1994 के अनुरूप परीक्षण करके केवल अनुमन्य प्रकरणों को ही अपनी संस्तुति सहित निगम मुख्यालय प्रेषित करें। मुख्यालय स्तर पर परीक्षण में नियमावली से भिन्न स्थितियों में स्वीकृति संस्तुति को गम्भीरता से लिया जायेगा व सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(दीपक त्रिवेदी)
प्रबन्ध निदेशक।

Downloaded from www.upsrtc.com

उ0प्र0 परिवहन निगम के कार्मिकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा अग्रिम के प्रकरणों के सम्बंध में जारी प्रबन्ध निदेशक के पत्र सं0-2051एफए/06-349एफए/85 दिनाँक 8-9-2006 संलग्नक।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा अग्रिम सम्बंधी प्रकरण का निस्तारण चिकित्सा परिचर्या नियमावली 1994 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार किया जाता है। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा अग्रिम के प्रकरणों का मुख्यालय स्तर पर निरीक्षण करने से स्पष्ट हुआ है कि निगम के क्षेत्रों/इकाईयों द्वारा चिकित्सा नियमावली के अनुरूप परीक्षण नहीं किया जा रहा है। प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुति प्राप्त प्रकरणों में निम्नांकित कमियाँ पायी जा रही हैं-

1- प्रदेश से बाहर इलाज से पूर्व निदेशक मण्डल की पूर्व अनुमति (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) आवश्यकता होती है लेकिन निदेशक मण्डल की बिना पूर्व अनुमति के ही प्रदेश के बाहर कराये गये इलाज के वाउचर्स प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुति सहित प्रेषित किये जा रहे हैं।

2- चिकित्सा नियमावली के भाग-4 की धारा-20 में कैंसर/दमा/टी0बी0/गठिया/हृदय रोग /मधुमेह/ एड्स/कुष्ठ रोग/कुत्ता काटने/ हड्डी टूटने की बीमारियों में बिना भर्ती हेतु बाह्य रोगी के रूप में कराये गये चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योग्य होते हैं। किन्तु क्षेत्रों/ इकाईयों द्वारा इन बीमारियों से अन्यथा बीमारियों में भी बाह्य रोगी के रूप में कराये गये वाउचर्स प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित किये जा रहे हैं।

3- गम्भीर बीमारियों में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए अग्रिम धनराशि हेतु ही संस्तुति की जानी चाहिये लेकिन अन्यथा स्थिति में भी अग्रिम चिकित्सा धनराशि स्वीकृति हेतु संस्तुति की जा रही है।

4- चिकित्सा अग्रिम के समायोजन हेतु चिकित्सा समाप्ति के 30 दिन के अन्दर चिकित्सा की प्रतिपूर्ति का दावा सम्बन्धित कर्मचारी/ अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य होता है तथा चिकित्सा नियमावली के भाग-5 की धारा-29 में यह भी प्राविधान है कि यदि समय के अन्दर दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तो विचार नहीं किया जायेगा तथा अग्रिम की धनराशि वेतन एवं अन्य धनराशियों से वसूल की जायेगी। लेकिन इस धारा को क्षेत्रों/ इकाईयों द्वारा पूर्णतया पालन नहीं किये जा रहे हैं।

Downloaded from www.upsrtc.com

5- किसी कर्मचारी/ अधिकारी को एक बार चिकित्सा अग्रिम के समायोजन के बाद ही दूसरे अग्रिम पर विचार किये जाने की व्यवस्था चिकित्सा नियमावली 1994 के भाग-5 की धारा-30 में है, लेकिन क्षेत्रों /कार्यशालों द्वारा इस प्राविधान के अनुपालन में शिथिलता बरती जा रही है।

6- भर्ती अवधि में सक्षम चिकित्सक द्वारा फार्म-बी एवं बाह्य अवधि में फार्म-ए अपूर्ण स्थिति में वाउचर्स के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

7- चिकित्सा नियमावली की भाग-3 के धारा-13 के संलग्नक-1 में दिये गये अस्पतालों के प्रकरण को मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सक्षम अधिकारी से धनराशि बिना सत्यापन के ही प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुतियाँ की जा रही है जब कि ऐसे प्रकरणों में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सरकारी दर पर देय है।

8- चिकित्सा के लिये चिकित्सालय का निर्धारण नियमावली के भाग-3 में धारा-13 से 17 तक में उल्लिखित है लेकिन इन व्यवस्थाओं से अन्यथा कराये गये इलाज के वाउचर्स को प्रतिपूर्ति हेतु अग्रसारित किये जा रहे हैं।

(एस०पी० वर्मा)
वित्त नियंत्रक।

Downloaded from www.upsrtc.com